



कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली-110006.

File. No.84/CEO/SVEEP/D.L.A.Q./2021/ 27476-478 Dated: 30/12/21

सेवा में


उपसचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.
ई-मेल: -questionbranchlas@gmail.com

विषय:- दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 185 श्री मोहन सिंह बिष्ट द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्र संख्या एफ.11(बी-1) VI/2020-25/वि.स.स./प्रश्न शा./273 दिनांक:-25.12.2021 के सन्दर्भ में इस कार्यालय से सम्बन्धित उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 185 के उत्तर की 100 प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं। इस पत्र के साथ उत्तर व उसके संलग्न की सॉफ्ट कॉपी PDF फार्म में भेजी जा रही है।

संलग्नक:- उपरोक्त

भवदीय,

20/12/2021
(ललित मित्तल)
चुनाव अधिकारी (स्वीप)

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सचिव, माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं चुनाव, दिल्ली सरकार, ए-विंग, 8वीं मंजिल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002.
2. पी0 एस0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली/पी0 ए0 उप-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के लिए।



कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली-110006

अतारांकित प्रश्न संख्या:-185

दिनांक:- 04.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (क) चुनाव संबंधित कामों को देखने के लिए कुल कितने एआरओ पूर्णकालिक काम कर रहे हैं; | दिल्ली की 70 विधान सभा क्षेत्रों के लिए चुनाव आयोग द्वारा 140 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की अधिसूचना जारी की गई जो कि चुनाव के दौरान रिटर्निंग अधिकारियों को उनके कार्य के निष्पादन में सहायता करते हैं। |
| (ख) क्या यह सत्य है कि अधिकतर चुनाव कार्यों की देखरेख के लिए अन्य विभागों से एआरओ लगाए गए हैं जिसके कारण लोगों को वोट व पहचान-पत्र बनवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है; और | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, दिल्ली सरकार के सभी 70 सर्किल के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के द्वारा सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है जिनका कार्य वोट/पहचान पत्र बनाना नहीं है। |
| (ग) यदि नहीं, तो करावल नगर विधान सभा में लोगों के पहचान पत्र न बनाए जाने अथवा देरी से बनने के क्या कारण हैं? | करावल नगर विधानसभा में आवेदनकर्ता का पहचान पत्र का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नियत समय पर हो रहा है। |

यह उत्तर माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और चुनाव द्वारा अनुमोदित किया गया है।

भविष्यीय,
ललित मिश्रा
20/12/2021
(ललित मिश्रा)
चुनाव अधिकारी (स्वीप)